न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

III/अपील/मुरैना/भू-रा/2017/2125

प्र0क0 R 11/17

श्री......श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक......
द्वारा आज दि....7/7/17.......को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1—मुन्नालाल पुत्र खूबा

2—होतम पुत्र खूबा

3—गोपाल पुत्र खूबा

समस्त जाति कोरी निवासी ग्राम खेरियन का पुरा पलपुरा तह0 व जिला मुरैना..........................अपीलान्ट

बनाम

म0 प्र0 शासन.......................रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23/05/2017

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल

संभाग मुरैना के प्र0क0 10/15—16 अपील

अन्तर्गत धारा 44(2) म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम पलपुरा तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 240 रकवा 14 बीघा 9 बिस्वा का अपीलान्ट स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2— यह कि उक्त भूमि का पट्टा अपीलान्ट के पूर्वजों को लगभग 50 वर्ष पूर्व प्रदान किया गया है।

3— यह कि उक्त भूमि के अपीलान्ट भूमि स्वामी घोषित किए जा चुके है किन्तु पटवारी कागजात में अहस्तान्तरणी लिखा आ रहा है।

4— यह कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय कलेक्टर महोदय मुरैना को उक्त भूमि 14 बीघा 9 बिस्वा भूमि को विकय किये जाने हेतु अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0क0 76/13—14 x अ/21 पर पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार महोदय को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

5— यह कि तहसीलदार महोदय मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 09/09/2013 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विकय जाने की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय मुरैना भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / अपील / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 2124

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर यह अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 10 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति की अनुशंसा कर अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5.9.14 को यह उल्लेख करते हुये कि उक्त भूमि शासकीय अभिलेख खसरा पंचशाला में कृषि योग्य दर्ज है तथा खसरा नकल के अनुसार सरसों की फसल खड़ी होना दर्शाया गया था इसलिये उक्त भूमि को अयोग्य नहीं माना जा सकता । अगर उपरोक्त भूमि की विक्रय की अनुमति दी जाती है तो आवेदकगण के पास मात्र 1.44 है0 भूमि बचेगी जिससे वह भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेगा। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 10 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	